Title: Need to continue payments under the Old Age and Widows Pension Schemes in Rajasthan.

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : महोदय, केन्द्र सरकार ने 15 अगस्त, 1995 से, संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंतर्गत राट्रीय, सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। जिसके अंतर्गत गरीब परिवार, वृद्धावस्था या परिवार में कोई मर जाता है अथवा मातृत्व के मामले में सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है, ऐसी राट्रीय नीति शुरू की गई थी। वृद्धावस्था पेंशन उसी का हिस्सा है और विधवाओं को मिलने वाली पेंशन भी उसी का हिस्सा है।

महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले तीन-चार महीने से वित्तीय संकट के नाम पर वृद्धावस्था पेंशन और विधवाओं को दी जाने वाली मासिक पेंशन रोक दी गई है और दुप्रचार किया जा रहा है कि केन्द्र से पैसा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को निर्देश दें कि वृद्धावस्था और विधवाओं की पेंशन को, जो सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत है,...(व्यवधान) उसे रोका न जाए। इसका निरंतर समय पर भुगतान किया जाए।